बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

आ0सं0–13 / स्था0–01–17 / 2025 / 4741 पटना, दिनांक – 03/10/2025

वित्त विभाग के अधिसूचना सं०–3एम–2–5 वे.पु.–28 / 99–4685 वि (2) दिनांक–25.06.2003 से निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली–2003) में निहित प्रावधानानुसार जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन दिनांक– 16.09.2025 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित मूल कोटि के कनीय अभियंताओं (असैनिक) के कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना–2003 की प्रभावी तिथि 09.08.1999 अथवा प्रथम योगदान की तिथि से 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि अथवा इनमें से जो भी बाद में हो, से (उनके नाम के सम्मुख कॉलम–7 में अंकित तिथि से) वेतनमान 6500–10,500 में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	आई.डी. कोड	कनीय अभियंता का नाम / गृह जिला	जन्म तिथि	से0नि0 / मृत्यु / पदत्याग की तिथि	प्रथम योग. तिथि	प्रदत प्रथम ए0सी0पी0 की तिथि वेतनमान 6500–10500	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जे.8326	श्री ओम प्रकाश यादव भागलपुर	01/01/62	31/12/21	22/04/88	22-04-2000	
2	जे.8349	श्री अशोक चन्द्र मिश्र समस्तीपुर	15-03-60	31-03-20	04-05-88	04-05-2000	

2. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवा पुस्त की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरान्त स्वीकृत लाभों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्तगी, दण्डादेश जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना को प्रभावित करता हो) पाया गया हो तो आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर सभी अपेक्षित नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

3. जिन कर्मियों की सेवा संपुष्टि / स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ है एवं सेवापुस्त में अंकित नहीं है, उन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के निर्धारण से पूर्व सेवा संपुष्टि / स्थायीकरण संबंधी मामले का सक्षम प्राधिकार से निष्पादन आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अन्दर सुनिश्चित करेंगे। यह नियंत्री पदाधिकारी की जवाबदेही होगी।

4. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली–2003 में निहित प्रावधानो के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा।

कृ0पृ0उ0

5. बाह्य विभाग में पदस्थापित वैसे कनीय अभियंता/कनीय अभियंता से प्रोन्नत अभियंता, जिन्हें वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है, उनके मामले में वैसे अभियंता निलंबित/जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, किसी आपराधिक आरोप के लिए फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो, आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लंबित समझी जाएगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोग पत्र (Charge sheet) समर्पित किया गया हो, पूर्व से निर्गत दण्डादेश, जो वित्तीय उन्नयन को प्रभावित करता हो, के संबंध में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आश्वस्त हो लेंगे तदोपरान्त नियमानुसार भुगतान आदि संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। यदि किसी बिन्दु पर भ्रम की स्थिति हो तो पूर्ण प्रस्ताव के साथ विभाग का मार्गदर्शन/आदेश अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

6. वित्तीय उन्नयन की देय तिथि के पूर्व पद त्याग/मृत/सेवानिवृत्त/बर्खास्त (न्यायालीय आदेश से सेवा में पुनः बने रहने के आदेश को छोड़कर) वर्तमान में निलंबित अभियंता के लिए यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

7. भविष्य में पूर्व में निर्गत दण्ड या लंबित आरोप की जानकारी उपलब्ध होने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।

8. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अन्तर राशि की वसूली कर ली जाएगी।

9. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

10. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –13/स्था0–01–17/2025 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –13/स्था0–01–17/2025 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –13 / स्था0–01–17 / 2025 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / मंत्रीमंडल निगरानी विभाग, पटना / नगर विकास विभाग, पटना / ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, पटना / सभी मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन / बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना / संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) / सभी उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अवर सचिव जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार / संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23 एवं 24 / प्रभारी बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –13 / स्था0–01–17 / 2025 पटना / दिनांक –

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को **Common intergrated website (www.state.bihar.gov.in)** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक –13 / स्था0–01–17 / 2025 4741 पटना / दिनांक – 03/10/2025

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एंव संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

03/10/25
अवर सचिव (प्रबंधन)।